प्रेस नोट-दिनांक 03-10-2021

थाना लोटन पुलिस द्वारा 12 शीशी बन्टी-बब्ली शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी” के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री अभिमन्यु सिंह थाना लोटन, के नेतृत्व मे आज दिनांक 03.10.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम लोटन महिला डिग्री कालेज के दक्षिण खडन्जे पर थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर से अभियुक्त रामजस पुत्र रामासरे ग्राम रमवापुर टोला लोधपुरवा थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर के पास से नियमानुसार जामा तलाशी के उपरांत 12 शीशी बन्टी बब्ली शराब बरामद किया गया। इस अपराध हेतु अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/2021 धारा 60 EX एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी स्थल –ग्राम लोटन महिला डिग्री कालेज के दक्षिण खडन्जा थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी का समय - 14.30 बजे।

बरामदगी- 12 शीशी बन्टी बब्ली शराब बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामजस पुत्र रामासरे ग्राम रमवापुर टोला लोधपुरवा थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.हे.का. राजेंद्र यादव थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

2.हे.का० संजय सिंह थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

3. का. मनीष गौंड थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट-दिनांक 03-10-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-03-10-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 116 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 13 वाहनों का चालान तथा एक वाहन को सीज कर ₹ 17,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया।